

-: आदेश :-

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, माननीय विधायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर को उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या 1/24 गांधीनगर, जयपुर "रिक्त होने की प्रत्याशा" में राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए नियमानुसार किराया भुगतान की निम्न शर्तों के आधार पर उनके पद पर बने रहने तक के लिए एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :-


शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. नियमानुसार किराया वसूलनीय होगा।
3. पदमुक्त/विधानसभा विघटन होने पर नियमानुसार आवास रिक्त करना होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

  
(डॉ पी.डी.पारीक)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा, सचिवालय, जयपुर।
5. श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र, बागीदौरा (बांसवाडा), 9/5 विधायक नगर-पूर्व, ज्योति नगर, जयपुर
6. संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को उक्तकी अशा टीप क्रमांक 59583 दिनांक 29.12.2018 के क्रम में।
7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0. गांधीनगर, जयपुर।
12. श्री प्रह्लाद गुंजल, पूर्व विधायक, निवासी: 1/24 गांधीनगर, जयपुर-कृपया आवास तत्काल रिक्त कर सूचित करें।
13. निदेशक/उद्यानविज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (अनुभाग-5) विभाग।
16. प्रबन्धक, सर्किट हाउस, जयपुर।
17. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
18. रक्षित पत्रावली।

31.12.18  
उप शासन सचिव